

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद आगरा में आगरा-भरतपुर मार्ग एन0एच0-11(नया एन0एच0-21) के किमी0 42 (चैनेज 41.293) पर ग्राम-चौमा, शाहपुर के खसरा सं0-651 की बांयी पटरी पर रिलायंस बी0पी0 मोबिलिटी लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित 0.1790312 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (प्रस्ताव सं0-(एफ.पी./यू.पी./अप्रोच /50244/2020)।

राज्य सरकार की सिफारिशें-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-93/81-2-2020-800(99)/2020, दिनांक 14.10.2020 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

14.10.2020.

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

(आशीष तिवारी)

विशेष सचिव

पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन विभाग

उ0प्र0 शासन